vè;k; 5

yf{kr ykd forj.k i.kkyh e lèkkj

5-1 iLrkouk

एन.एफ.एस.ए. की धारा 12 के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें, टी पी डी एस में आवश्यक सुधार का उत्तरोत्तर प्रयास करेंगी। पहचाने गए सुधार के क्षेत्रों में सभी स्तरों पर लेन–देन की पारदर्शी रिकार्डिंग सुनिश्चित करने तथा विपथन से बचने तथा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टी पी डी एस बिक्री केंद्रों पर द्वार तक खाद्यान्न की डिलीवरी,एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधनों का प्रयोग शामिल था। जहाँ एन.एफ.एस.ए. में अन्य सुधारों जैसे विशिष्ट पहचान के लिए ''आधार''का प्रयोग, एफ पी एस की लाइसेसिंग में सार्वजनिक संस्थाओं/निकायों को प्राथमिकता आदि, का भी प्रावधान है वहीं मंत्रालय द्वारा प्रारंभ में महत्वपूर्ण सुधारों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया।

5-2 [kk|kUUk dh }kj rd fMyhojh

एन.एफ.एस.ए. की धारा 24(2) के अनुसार, राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा किः–

- वह राज्य में केंद्र सरकार के निर्दिष्ट डिपो से, एन.एफ.एस.ए. की अनुसूची – I में विर्निदष्ट कीमतों पर खाद्यान्न की डिलीवरी लें;
- प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक आबंटित खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए अपनी प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से राज्यगत आबंटनों का आयोजन करें; तथा
- पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न की वास्तविक डिलीवरी अथवा आपूर्ति सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2015 की धारा 7(12) के अनुसार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को त्रैमासिक आधार पर द्वार तक डिलीवरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्रालय ने टी पी डी एस (सी) आदेश 2015 की अधिसूचना से पूर्व प्राप्त सूचना के आधार पर सूचित किया कि उसने केवल 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. से रिपोर्ट प्राप्त की थीं। साथ ही, सितम्बर 2015 से सूचना प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन प्रणाली आरंभ की गई थी।

5-2-1 jkT; fof'k"V ekeys

चुनिंदा राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच में देखी गई तैयारी के स्तर का विवरण नीचे दिया गया हैः

vle% राज्य में द्वार तक डिलीवरी कार्यान्वित नहीं की गई थी। ट्रांसपोर्टरों के लिए केवल बोली की प्रक्रिया ही पूरी की गई थी (अक्तूबर 2015)।

fcgkj% बिहार राज्य ने ई.पी.डी.एस के अंतर्गत एफ पी एस को खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी शुरू की। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भर कर गोदामों से उठाकर पहले से चुने गए ट्रांसपोर्टरों के जी पी एस–सक्षम वाहनों द्वारा एफ पी एस को आपूर्ति की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई पी डी एस के माध्यम से सृजित रिपोर्टों में विसंगतियां थीं। विभिन्न एफ पी एस को जारी किए गए खाद्यान्न की मात्रा के बारे में जिला प्रबंधकों[14], बिहार राज्य खाद्य निगम (डी.एम, बी.एस.एफ.सी.) के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों में यह देखा गया था कि एक भंडार निर्गम आदेश (एस.आई.ओ.) के प्रति, खाद्यान्न की एक ही मात्रा दो बार जारी की जानी दर्शाई गई थी। आठ ब्लॉकों[15] की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 37931.31 मी.ट. खाद्यान्न के एस.आई. ओ. के प्रति, यद्यपि, एफ पी एस को खाद्यान्न की वही मात्रा जारी की गई थी, डी एम, बी एस एफ सी की रिपोर्ट में, 75862.62 मी.ट. (दुगुनी मात्रा) का खाद्यान्न जारी किया जाना दर्शाया गया था। दूसरे मामले में संवीक्षा से पता चला कि आपूर्त किया गया 756.092 मी.ट. खाद्यान्न, एफ पी एस दुकानों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। उत्तर में डी.एस.बी.एस.एफ.सी. कार्यालयों ने बताया कि एस आई ओ मात्रा एक वाहन से अधिक होने पर उसे एक से अधिक वाहनों द्वारा ही भेजा गया था परंतु सिस्टम इंटिग्रेटर की सॉफ्टवेयर समस्या के कारण, एक एस आई ओ के प्रति मात्रा की दोहरी प्रविष्टि दिखा दी गई थी। इस प्रकार, द्वार तक डिलीवरी मॉडल का समुचित रूप से अनुसरण नहीं हुआ था।

चिवाड़ा, मीनापुर, खरीक, साबौर तथा शेखपुरा ब्लॉकों में एफ पी एस के भौतिक सत्यापन से पता चला कि 481.59 मी.ट. खाद्यान्न की आपूर्ति वाले 88 मामलों में बिहार राज्य खाद्य निगम के अभिलेखों के अनुसार आपूर्ति की तिथि तथा एफ पी एस को आपूर्ति की वास्तविक तिथि के बीच अंतर था। निगम द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार यह खराब कनेक्टिविटी अथवा बैटरी की कम चार्जिंग के कारण बर्हिगामी खाद्यान्न की साथ–साथ प्रविष्टि करने में सिस्टम इंटिग्रेटर की असमर्थता के कारण था।

fnYyh% संवीक्षा से पता चला कि खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी सभी 2300 एफ सी एस पर की जा रही थी। तथापि,वाहनों में लगे जी पी एस आधारित यंत्रों तथा भार सेंसरों की सहायता से खाद्यान्न की वास्तविक समय आवाजाही की मॉनीटरिंग के अभाव में, द्वार तक आपूर्ति की प्रभावकारिता का लेखापरीक्षा में पता नहीं लग सका।

---

[14]भागलपुर, सारन, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा

[15]अमनौर, मीनापुर, मूसाहरी, मारहोवराई, नवगछिया, शेखपुरा, साबौर

dukVd ,o fgekpy izns'k % यह देखा गया था कि एफ पी एस डीलर गोदामों से अपनी दुकानों पर खाद्यान्न का परिवहन कर रहे थे तथा डीलरों द्वारा किए गए व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही थी। तथापि एन.एफ.एस.ए. के अनुसार, चूंकि एफ पी एस को खाद्यान्न का परिवहन राज्य द्वारा किया जाना था, अतः स्वयं एफ पी एस मालिकों द्वारा परिवहन की प्रथा अनुचित थी।

महाराष्ट्र : केवल जनजातीय तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, सरकारी गोदामों से एफ पी एस को खाद्यान्न सरकारी स्वामित्व वाले/ किराए पर लिए गए वाहनों के माध्यम से वितरित किए गए थे तथा शेष राज्य में, खाद्यान्न का एफ पी एस के मालिकों द्व ारा गोदामों से स्वयं एफ पी एस को परिवहन किया गया था।

mÙkj izns'k % राज्य के 75 में से केवल 15 जिलों में ठेकेदार नियुक्त कर द्वारा द्वार तक डिलीवरी कार्यान्वित की जा रही थी।

5-3 Vh ih Mh ,l dk vkjaHk ls var dEI;wVjhdj.k

मंत्रालय ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु 'टी पी डी एस के आरंभ से अंत कम्प्यूटरीकरण' पर दिसम्बर, 2012 में एक योजनागत योजना शुरू की। योजना के दो संघटक थे; संघटक – I में राशन कार्डों/ लाभभोगियों तथा अन्य डाटा बेस का डिजिटिकरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना शामिल थे तथा संघटक – II में एफ पी एस ऑटोमेंशन शामिल था जिसमें लाभभोगियों के प्रमाणीकरण हेतु एफ पी एस पर बिक्री बिन्दू (पी ओ एस) यंत्रों की स्थापना, एफ पी एस पर लाभभोगियों को बिक्री की रिकॉर्डिंग तथा सेंट्रल सर्वर में लेन–देन की अपलोडिंग शामिल थी।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2014 में निर्देश जारी किया कि एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन चाहने वाले राज्यों/ सं.शा. क्षेत्र को संघटक – I का आरंभ से अंत तक कम्प्यूटरीकरण प्रमाणित करें। केंद्र सरकार ने ₹ 884.07 करोड़ का अनुमोदन किया जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 489.37 करोड़ तथा राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों का हिस्सा ₹ 394.70 करोड़ था। लाभभोगियों तथा अन्य डाटा बेस के डिजिटिकरण के कार्यान्वयन तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित समय–सीमा क्रमशः मार्च 2013 तथा अक्तूबर 2013 थी।

5-3-1 jkT;ksa@ la-'kk- {ks=ksa }kjk fuf/k;ksa dk mi;ksx

मंत्रालय ने 2012–13 से 2015–16 वर्षों के दौरान 28 राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों को ₹ 261.51 करोड़ की निधियां जारी की (जून, 2015)। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:

चार्ट 7 : भारत सरकार द्वारा जारी निधियों के प्रति राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों द्वारा व्यय

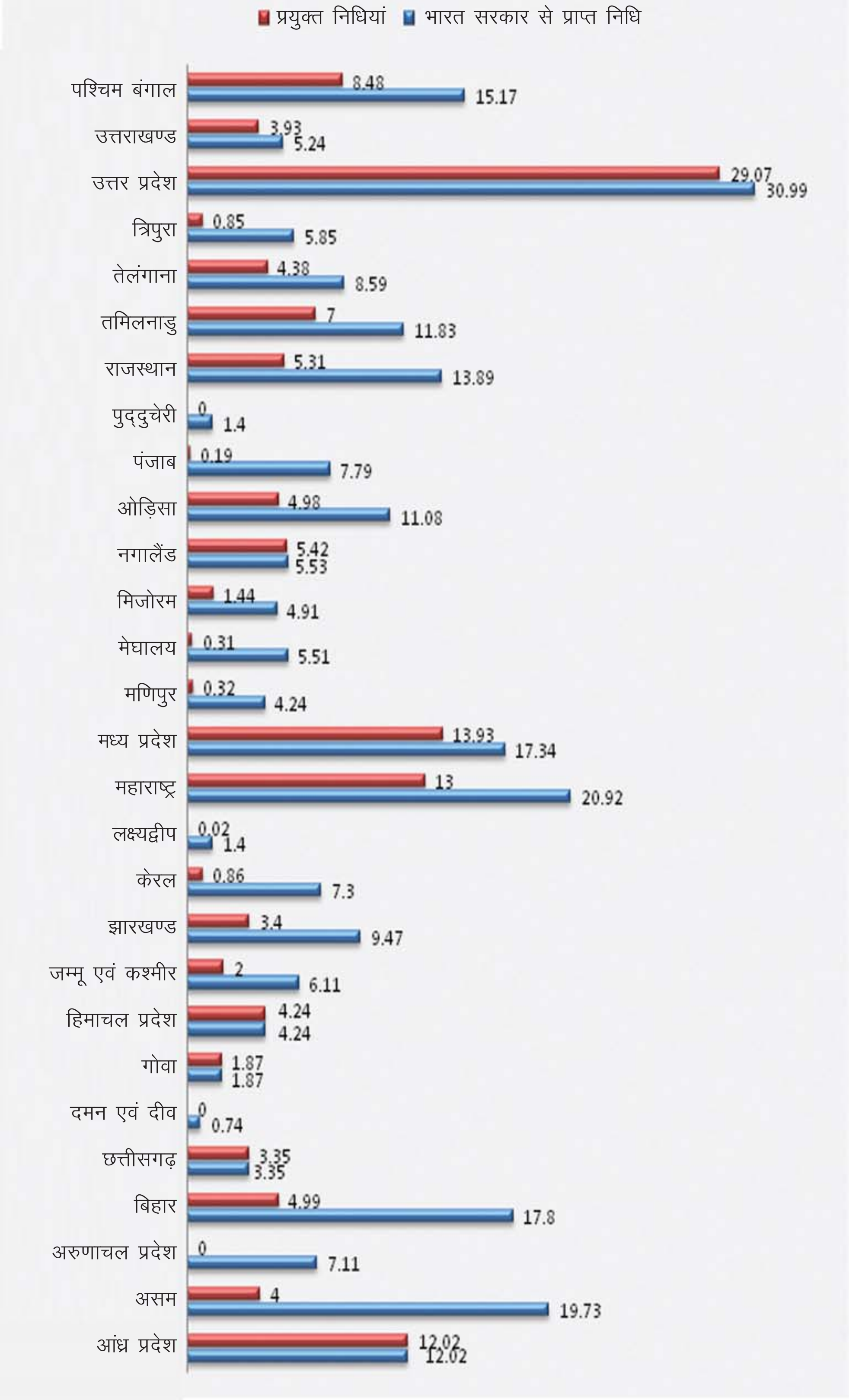

2015 dh ifronu la- 54

5-3-2 jkT;k }kjk ;kstuk dh èkheh ixfr

समापन की निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बीत जाने के बाद, अधिकतर राज्यों द्वारा अभी अपने पी डी एस परिचालन का कम्प्यूटरीकरण किया जाना था। चार्ट 7, पांच भिन्न क्रियाकलापों में सभी राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह देखा जा सकता है कि केवल 72 प्रतिशत राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों ने राशन कार्ड डिजिटिकरण पूरा किया, 38 प्रतिशत राज्यों ने ऑनलाईन आबंटन, 22 प्रतिशत ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 72 प्रतिशत ने पारदर्शिता पोर्टल तथा 58 प्रतिशत राज्यों ने ऑनलाईन शिकायत प्रणाली पूरी की।

pkVZ 8 % ih Mh ,l ifjpkyuks d s dEI;Vjhdj.k e s lHkh jkT;ks dh dk;Z&ckj fLFkfr

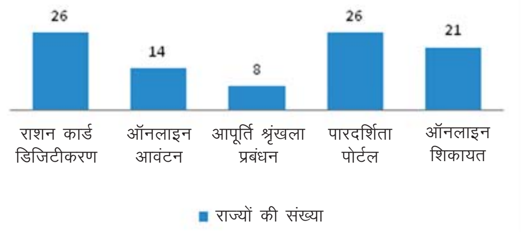

5-3-3 jkT; fof'kV ekeys

vle % राज्यों में नमूना जांच से पता चला कि भारत सरकार ने जनवरी–मई 2014 के दौरान पहली किश्त के रूप में ₹19.72 करोड़ जारी किए। राज्य सरकार ने नौ महीने बीतने के बाद फरवरी 2015 में कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि जारी की। कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स की अधिखरीद अक्टूबर 2015 तक प्रक्रियाधीन थी। तथापि, मंत्रालय के अभिलेख के अनुसार केवल ₹ 4.00 करोड़ खर्च किए गए थे।

यह देखा गया था लक्षित 56.21 लाख राशनकार्डों के प्रति,मार्च 2015 तक विभाग 45.73 लाख (81.36 प्रतिशत) कार्ड डिजिटाईज कर सका। तीन नमूना जांच किए गए जिलों[16] के डिजिटाईज अभिलेखों ने दर्शाया कि 1563 परिवारों का डॉटा राशन कार्ड संख्या के बिना ही अंकीकृत कर दिया गया था जो यह दर्शाता है कि डिजिटाइजेशन राशन कार्ड के आबंटन के बिना ही किया गया था। 1619 मामलों में, परिवारों के सदस्यों के गलत विवरण वाली दोहरी प्रविष्टियां रद्द किए बिना एक ही चयनित परिवार का राशन कार्ड पांच से दस बार अंकीकरण किया गया था।

ऑनलाईन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कार्यान्वयन भी अक्टूबर, 2015 तक अधूरा था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि पारदर्शिता पोर्टल विकसित कर लिया गया था, तथापि, अंकीकृत डॉटा पूर्णतः अपलोड नहीं किया गया था तथा शिकायत निवारण मॉड्यूल परिचालनात्मक नहीं किया गया था।

fcgkj % खाद्यान्न का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कम्प्यूटरीकरण कार्यान्वित कर दिया गया था। यह देखा गया था कि भंडार निर्गम आदेश (एस आई ओ), जिला/ब्लॉक/एफ पी एस–वार आबंटन की आनलाइन प्रविष्टि, एफ पी एस डीलर द्वारा धन जमा कराने तथा भुगतान के अंतिम मिलान के बाद ही सृजित किए गए थे। तथापि गोदाम स्तर पर कम्प्यूटर/लेपटॉप, इंटरनेट तथा बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण सभी गोदामों पर एस आई ओ की ऑनलाईन प्रविष्टि की जांच नहीं की जा सकी

[16] करीमगंज, बक्सा, सोनितपुर

जिससेआरंभ से अंत कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन की तैयारी के अभाव का पता चलता है।

fnYyh % तीन चयनित दुकानों के खाद्यान्न के आबंटन की परिवार–बार संवीक्षा ने दर्शाया कि 170 परिवारों का डाटा पूर्णतः अंकीकृत नहीं किया गया था क्योंकि आबंटन शीट में लाभभोगियों के नाम, पते तथा संपर्क संख्याएं खाली पाई गई थी। तथापि, दिल्ली सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत विश्लेषण हेतु अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

fgekpy insk % भारत सरकार ने राज्य सरकार को पहली किश्त के रूप में ₹ 4.24 करोड़ जारी किए (नवम्बर 2013)। राज्य सरकार ने भी अपने ₹ 7.07 करोड़ के हिस्से में से ₹ 4.01 करोड़ जारी किए (फरवरी 2014)। तथापि ₹ 8.25 करोड़ (राज्य के हिस्से सहित) की उपलब्ध कुल निधि में से, राज्य ने केवल ₹ 1.51 करोड़ खर्च किए तथा ₹ 6.74 करोड़ बचत बैंक खाते में अव्ययित पड़े हुए थे (मार्च 2015)। राज्य में राशन कार्डों/ लाभभोगियों का अंकीकरण नहीं किया गया था तथा मॉड्यूल्स के विकास में विलंब के कारण विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न के मूवमेंट तथा भंडारण सुविधा केंद्रों पर खाद्यान्न के स्टॉक की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के लिए साफ्टवेयर तैयार नहीं किया गया था। निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ने कहा (अप्रैल 2015) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) द्वारा दो मॉड्यूल अभी भी विकास की अवस्था में थे।

> *vPNh i)fr % NÙkhlx<*
> *पी डी एस आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण छत्तीसगढ़ में 2007–08 में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया था। प्रणाली राज्य में जनवरी 2008 से पूर्णतः चालू है तथा 10883 एफ पी एस में पी डी एस पदार्थों की स्टॉकिंग की निकटता से तथा प्रभावी रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।*

Ökkj[kM % राज्य में लाभभोगियों का अंकीकरण कर लिया बताया गया था। यह देखा गया था कि राज्य से जिलों को और फिर ब्लॉकों/एफ पी एस को दिसम्बर 2014 से आनलाईन आवंटन शुरू हो गया था।

> *vPNh i)fr % dukVd*
> *राज्य सरकार ने, भारत सरकार द्वारा योजना शुरू करने से पहले ही 2011–12 के दौरान राज्य स्तर से पी डी एस थोक बिक्री बिन्दुओं तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूरा कर लिया था। लाभभोगियों का अंकीकरण पूरा कर लिया गया है तथा पारदर्शिता पोर्टेल भी विद्यमान था।*

mÙkj insk % मंत्रालय ने ₹ 28.33 करोड़ की पहली किश्त जून 2013 में जारी की। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की संस्वीकृति प्रदान की तथा ₹ 56.66 करोड़ का बजट जारी किया। तथापि, मार्च, 2015 तक केवल ₹ 29.07 करोड़ (51.31 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। नमूना जांच किए गए बुलंदशहर, गोरखपुर तथा झांसी जिलों में 2014–15 के दौरान क्रमशः ₹ 47.40 लाख, ₹ 43.15 लाख तथा ₹ 25.40 लाख मूल्य

के कम्प्यूटर खरीदे गए थे। तथापि, कार्यालय/ ब्लॉक गोदामों में कम्प्यूटर स्थापित ही किए गए थे। इसके अतिरिक्त, भंडारण गृहों में मौजूद स्टॉक तथा एफ पी एस को डिलीवर किए गए खाद्यान्न सहित विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्न की आवाजाही से संबंधित वास्तविक समय रिपोर्टें उपलब्ध कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर स्थापित नहीं किया गया था। लखनऊ जिले में 2013–15 के दौरान कम्प्यूटर नहीं खरीदे गए थे। यह देखा गया था कि ए ए वाई के मामले में, ₹ 40.94 लाख के वर्तमान कार्डों की संख्या के प्रति ₹ 42.46 लाख कार्ड (103.70 प्रतिशत) अंकीकृत किए गए थे। टी पी डी एस परिचालन के कम्प्यूटरीकरण के अन्य क्रियाकलाप कार्यान्वित नहीं किए गए थे।

egkjk"Vª राज्य सरकार ने 2.71 करोड़ राशनकार्डों का अंकीकरण किया परंतु आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण केवल दो पाईलट जिलों[17] में ही किया गया था। शिकायत निवारण हेतु पारदर्शिता पोर्टेल तथा ऑनलाईन सुविधा विद्यमान पाई गई थी।

जवाब में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2015) कि उनके द्वारा किए प्रयासो के परिणामस्वरूप विभिन्न गतिविधियों में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

fu"d"kZ

राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में टी पी डी एस कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में था। कुछ चयनित राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में अपेक्षित कम्प्यूटर एप्लिकेशन तथा हार्डवेयर की अनुपलब्धता के मामले, सीमित करने वाले कारक बन गए थे। लाभभोगियों का अंकीकृत डॉटा राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के पोर्टेल पर अपलोड नहीं किया गया था। खाद्यान्न की द्वार तक डिलीवरी केवल पाईलट आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की गई थी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, द्वार तक डिलीवरी स्वयं एफ पी एस डीलरों द्वारा ही की जा रही थी न कि राज्य सरकारों द्वारा। द्वार तक डिलीवरी की स्थिति के संबंध में, मंत्रालय ने मॉनीटरिंग की एक ऑनलाईन प्रणाली सितम्बर, 2015 में ही स्थापित की है।

अनुशंसा

मंत्रालय को एन.एफ.एस.ए. के दक्ष कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/ सं.शा. क्षेत्रों में टी पी डी एस क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण में अवरोधों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

[17] सिंधुदुर्ग, एवं रायगढ़